उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-44/2016/984/92-2-2016-102जॉच/2015

लखनऊ :: दिनांक:: 16 अगस्त,2016

**कार्यालय-ज्ञाप**

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में प्रभारी निदेशक एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत रहते हुये श्री पी0आर0राय, तत्कालीन मुख्य अभियंता, ई0एस0आई0सी0, नयी दिल्ली (प्रतिनियुक्ति पर) वर्तमान में सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में समुचित परीक्षण किये बिना ही जॉच आख्या शासन में प्रेषित कर जॉच अधिकारी के रूप में अपने पदीय दायित्व एवं कर्तव्य का निर्वहन न किये जाने आदि अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री राम प्रकाश सिंह, तत्कालीन प्रभारी निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-सहारनपुर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0-लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

**संख्या-44/2016/984(1)/92-2-2016 तददिनांक।**

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जॉच अधिकारी/निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, उ0प्र0-लखनऊ को अनुमोदित आरोप पत्र की संलग्नक सहित प्रति (दो प्रतियों में) इस आशय से प्रेषित कि आरोप पत्र में यथास्थान अपने हस्ताक्षर कर अपचारी अधिकारी को उपलब्ध कराते हुये प्राप्ति रसीद शासन में तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। **(छायाप्रति संलग्न)**

3- मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- श्री राम प्रकाश सिंह, तत्का0प्रभारी निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, परिमण्डल-सहारनपुर द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( बाबूराम )
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in